कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी हरद

पत्रॉकः– एफ0एस0ओ0/एफ0पी0–पेट्रोल पम्प– 136/एफ0एस0–2016 दिनॉकः जून,28.20

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी(सं0 का0)

हरदोई

विषयः– हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 लखनऊ के पत्र दिनॉकः 06.06.2016 के द्वारा गाटा नं0 229,230 पर ग्राम चॉदपुर बाहर न पालिका बिलग्राम तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई पर रिटेल आउट लेट पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या :289/XX –जे0ए0–अनापत्ति /16 दिनॉकः– 23.06.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो उपरोक्त विषय है।

उक्त विषयक प्रस्तुत मानचित्र एवं स्थल का अग्नि शमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में अ

ढॅाचागति संरचना के सम्बन्ध में।

1.प्रस्तावित स्थल बिलग्राम– उन्नाव मार्ग पर है।
2.प्रस्तावित रिटेल आउलेट भूमि के ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन नही गयी हैं
3. कुल भूखण्ड एरिया 40X40 वर्ग मीटर तथा प्रस्तावित ऊचॉई 6.00 मीटर है।
4.प्रस्तावित रिटेलआउटलेट के 100 मीटर की परिधि के अन्दर अति ज्वलनशील पदार्थ का भण्डार वर्तमान में नही है।
5.प्रस्तावित रिटेलआउटलेट में प्रवेश एवं निकास प्रस्तावित है प्रत्येक की चौडाई 12.00 मीटर है जो मानक के अनुरुप है।

प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्था

प्रस्तावित रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने के उपरान्त एवं संचालित किये जाने के पूर्व निम्न अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किय जाना आवश्यक होगा–

1..एक अदद ए0एफ0एफ0एफ0 फोम ट्राली 50 लीटर क्षमता का प्रबन्ध किया जाना आवश्यक होगा।
2.प्रत्येक डिस्पेसिंग यूनिट पर 02 अदद ए0बी0सी0/डी0सी0पी0 टाइप फायर एक्स0 क्षमता 09 किग्रा0 का रखा जाना आवश्यक होगा।
3.जनरेटर हेतु 02 अदद आई0एस0आई0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 09 किग्रा क्षमता का रखा जाना आवश्यक होगा।
4.08 अदद फायर बकेट मय स्टैण्ड अधिष्ठापन आवश्यक होगा ।
5.पर्याप्त मात्रा में बालू का रिजर्व स्टाक एवं 02 अदद बेल्चा रखा जाना आवश्यक होगा।
6.धूम्रपान निषेध की पट्टिका को लगाया जाना आवश्यक होगा।
7.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर फ्लैमप्रूफ लाइटो का ही प्रयोग किया जायेगा।
8.जनरेटर का एग्झास्ट पाइप बाहर की ओर रखेंगे तथा एग्झास्ट पाइप में स्पार्क एरेस्टर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
9.अण्डर ग्राउण्ड एमएस/एचएसडी टैंक की अर्थिंग नियमानुसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
10.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर ओ0आई0एस0डी0 मानको का एवं पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स का अनुपालन करना होगा।
11.ओवर हेड इलैक्ट्रिक लाइन व प्रस्तावित व्यवस्था के बीच की दूरी इण्डियन इलैक्ट्रिक सिटी रूल्स एवं रेगुलेशन के अनुरुप होनी चाहिए।
12.निकटतम फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर को प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः हिन्दंस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गाटा नं0229 व 230 पर ग्राम चॉदपुर बाहर नगर पालिका बिलग्राम त बिलग्राम जनपद हरदोई पर पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस निर्देश के साथ निर्गत किये जाने की संस्तुति की जा कि रिटेल आउट लेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्नि शमन व्यवस्थाओ का अग्नि शमन विभाग से सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण पत्र करना सुनिश्चित करेंगें

संलग्न अनुमोदित मानचित्र

(आर0एस0त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई

(आर0 एस0 त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई

प्रतिलिपिः– 1. . स्वामी/प्रबन्धक/व्यवस्थापक को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रस्तावित स्थल पर उपरोक्त अंकित दिशा निर्देशों का पूर्ण रूपेण पाल कर अधोहस्ताक्षरी को कार्य व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व निरीक्षण/परीक्षण कराने हेतु

(आर0एस0त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरदोई